

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी ३/१, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर ३०२००५

क्रमांक : एफ ९(४)(३३)उ.मै.छ./सान्याअधि/पोर्टल/कार्ययोजना/२०२१-२२/२५९७

दिनांक : ०८.११.२१

आयुक्त महोदय,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
शासन सचिवालय

विषय : विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत विज्ञप्ति
को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
योजनान्तर्गत संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राष्ट्रीय स्तरीय अंग्रेजी
दैनिक समस्त संस्करण व एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र,
राजस्थान के समस्त संस्करण (जिसकी दैनिक पचास हजार या इससे
अधिक प्रतियां प्रकाशित होती हो) में शीध्र प्रकाशित करवाने का श्राम
करावे।

संलग्न : उक्तानुसार आठ प्रति मय सीढ़ी

भवदीय,



(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ ९(४)(३३)उ.मै.छ./सान्याअधि/पोर्टल/कार्ययोजना/२०२१-२२/२५९४-११

दिनांक : ०८.११.२१

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. उपनिदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति का शीध्र प्रकाशन
करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
२. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), आई.टी., मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार
विज्ञप्ति को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।


अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छानावास)

राजस्थान सरकार

सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रोसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ ९(४)(३३)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021-22 / २५७२

दिनांक : ०३.११.२१

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय/राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE App पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/ पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	08 नवम्बर, 2021
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	30 नवम्बर, 2021

नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. आय सीमा:-

- (अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग-SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। **जैसे— बी.पी.एन. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक द्वी पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र/अित्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।**

- (स) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- (द) डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.00 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- (य) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं पासवर्ड सूजित कर अथवा ई-मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें।
 3. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही दें।
 4. दस्तावेज़:- उक्तानुसार छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज़/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे जैसे—आरा का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएँ आदि। वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज़ को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
 5. जैसे—गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु चिह्नित श्रेणी अनुसार वांछित दस्तावेज आदि।
 6. जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
 7. विद्यार्थियों का बैंक खाता संख्या जनाधार में उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि जनाधार कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को जनाधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:—
 - a. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो।
 - b. छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय—अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में

ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

C. बैंक खाता बन्द एवं अक्रियाशील (Inoperative) न हो।

8. फीस की रसीद में अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल-कूद शुल्क (Games Fee), 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृत्ति हेतु देय है। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
9. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन:— आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोर्टल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्यक्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन:— जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021–22 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे।
11. वर्ष 2019–20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। जयपुर जिले में सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी
www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय बेब साइट पर एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

3
(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

C. बैक खाता बन्द एवं अक्रियाशील (Inoperative) न हो।

8. फीस की रसीद में अंकित 8 मद यथा 1.पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल-कूद शुल्क (Games Fee), 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृत्ति हेतु देय है। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
9. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन:- आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोर्टल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्यक्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन:- जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी।इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे।
11. वर्ष 2019-20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। जयपुर जिले में सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी

www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय बेब साइट पर एवं विभागीय जिता कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

3
(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रोसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ ९(४)(३३)उ.मै.जा./सान्यायि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021-22/2470

दिनांक : ०३.११.२१

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाते/अनुजनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय/राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाइट www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE App पर विलक्षण कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैं :—

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/ पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	08 नवम्बर, 2021
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	30 नवम्बर, 2021

आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र/छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अमडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

३५

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ ९(४)(३३)उ.मै.छा./ सान्ध्यावधि/ पोर्टल/ कार्यगोजना/ 2021-22 / २५७।-२५८।

दिनांक : ०३.११.२१

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, श्रीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविष्ठिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज. जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/राजकीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त।
15. प्राचार्य, राजकीय भेड़िकल/स्नातकोत्तर/स्नातक गहाविद्यालय समस्त।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक गहाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त।
17. अधीकार राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छान्नयूति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक स्वरूपाएं सुनिश्चित करवाने, बैंकसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने रत्न रो सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रहित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(अभ्यूति एवं अभ्यावास)